राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/मशीनहॉल/2020/53465 दिनांकः–24/11/2020

परिपत्र

विषय :– **सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने तथा सफाई सुरक्षा चैलेंज के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।**

संदर्भ :– **विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.2015, 30.08.2019 एवं पत्रांक 31941 दिनांक 01.07.2020 तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.11.2020 को आयोजित विडियो कान्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशो के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सीवर सफाई के दौरान नियमित सफाई और अनुरक्षण, अधिकतम यंत्रीकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रकिया एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सेप्टिक टैंक और सीवर सफाई को सुनिश्चित किया जाना है। असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी जुर्म है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा World Toilet Day (19th Nov. 2020) पर सभी राज्यों के साथ विडियों कान्फ्रेसिंग कर सभी राज्यो से ''सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज'' की शपथ दिलवाते हुये सभी को मेनहॉल का नाम मशीन हॉल परिवर्तित करने का आह्वान किया साथ ही टूलकिट, एडवाईजारी एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं IEC मेटेरियल का विमोचन किया गया। **भारत सरकार के निर्देशानुसार मैनहॉल का नाम ''मशीनहॉल'' परिवर्तित किया जाता है।**

पूर्व में प्रदत्त निर्देशो की निरन्तरता में जिन निकाय में सीवरेज सिस्टम चालू है, को एक हेल्पलाईन नम्बर (03 Digit Helpline Number) चालू किया जाना है, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No. 15/19/2020-SBM-1 दिनांक 20.11.2020 द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार BSNL में आवेदन कर **उक्त हेल्प लाईन कॉल सेन्टर सभी नगर निगमों में एक सप्ताह में चालू किया जाना है।** इस हेतु आवश्यक राशि स्वच्छ भारत मिशन के CB and A&OE मद से तथा कॉल सेन्टर की प्रचार–प्रसार IEC मद में उपलब्ध राशि से नियमानुसार किया जाना है। निगर निगमों के कोर्डिनेटस् भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है, जिनकी मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा अलग से की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महात्मा गांधी जयन्ती 02 अक्टूबर 2019 को राज्य स्तरीय समारोह में आह्वान किया कि सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये आगामी एक वर्ष में यह कार्य मशीनों व सुरक्षा उपकरणों से पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। जिसकी पालना में यंत्रीकरण एवं सुरक्षा उपकरणों के कय हेतु विभाग द्वारा वार्षिक दर संविदा पर कय के निर्देश सभी निकायों को पूर्व में प्रदान किये जा चुके है।

सीवर लाईन एवं सेप्टिक टैंको की सफाई मशीनों से किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। संवेदक के माध्यम से करवाये जाने की स्थिति में टेण्डर डाक्यूमेन्ट में शर्तो में यथा आवश्यक शर्त समाहित करना सुनिश्चित किया जावें।

सीवरेज सिस्टम वाली निकायों में Responsible Sanitation Authority (RSA) तथा Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) गठित की जाकर निदेशालय को इसकी प्रति भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सभी निकायों को सीवर लाईन सफाई एवं सेप्टिक टैंक/पिट की सफाई/खाली करने हेतु IEC गतिविधियां संचालित की जावे, जिससे आमजन एवं सफाई कर्मचारियों को जागरूक किया जा सके। साथ ही यह की मैसेज दिया जावे कि सीवर सफाई मे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षित कामगारों जिसके पास वैद्य आई.डी. कार्ड हो, से ही मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनुसार आवश्यक होने पर सफाई कार्य करवाया जावें अन्यथा कार्य मशीनों से ही करवाया जावें।

सेप्टिक टैंक/सॉकपिट/पिट को प्राईवेट व्हीकलस् द्वारा भी साफ/खाली किया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन निकायों में नही होता है। इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों/फर्मो का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित निकाय द्वारा प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

अमृत शहरों में सीवर लाईन से वंचित क्षेत्रों हेतु FSSM तकनीक अपनाई जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किये गये है, जिनके अनुसार राज्य के 29 अमृत शहरों में FSSM हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इस हेतु प्रत्येक अमृत शहर द्वारा Leftover area हेतु Feasibility report/Concept note एवं तकमिना बनाया जाकर निदेशालय को प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करावें, जिससे FSSM की स्वीकृत सक्षम स्तर से करवाई जा सकें।

सीवर सफाई में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवाई जाने हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल के अनुसार CMAR के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, जिस हेतु RSA एवं SRU गठित यूनिट की प्रति निदेशालय को भिजवाई जावें।

सफाई कर्मचारियों के समूह को नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एण्ड डवलपंमेन्ट कॉर्पोरेशन (NSKF&DC) द्वारा सीवर मशीन/उपकरण क्रय के लिये ऋण भी प्रदान किया जाता है। इस हेतु निकाय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर सफाई कर्मचारियों की सीवर सफाई में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निकायो द्वारा निम्न निर्देशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे :–

(अ) सीवर सफाई के दौरान सामान्य सावधानियां :–

i. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिये सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं हैं।
ii. बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संसाधानों के सीवर सफाई का कार्य नही करवाया जावे।
iii. सुपरवाईजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साईट पर उपस्थिति रहे। सफाई का कार्य उस अवधि में किया जावे जब सीवर में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।
iv. सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सुपरवाईजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व में उपलब्ध होने चाहिए।
v. सर्वप्रथम सुपरवाईजर द्वारा सीवर सफाई के लिये पॉईट का निर्धारण करें, बैरिकेटिंग लगाई जावें।
vi. कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे पूर्व कार्यस्थल के आगे–पीछे के दो–तीन मशीनहॉल खोले जायें ताकि जहरीली गैसें बाहर निकल सकें।
vii. सफाई हेतु उपयुक्त मशीन प्रयोग मे ली जाकर उसका संचालन निर्धारित विधि एवं प्रशिक्षित सुपरवाईजर की देखरेख में किया जाना चाहिए।
viii. सफाई उपरान्त मशीनहॉल को अच्छे तरीके से टाईट बंद किया जाना चाहिए।
ix. हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैसे– Breathing Appratus, Alarm system, Firstaid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
x. सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करने वाली आवश्यक कार्यवाहियां एवं मशीनहॉल में प्रवेश होने से पूर्व आवश्यक तैयारिया परिशिष्ट i,ii,iii एवं सुरक्षा कवच परिशिष्ट iv पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित स्थानीय निकाय इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

(ब) पंजीकृत संस्थाओ से कार्य करवाये जाने पर, स्थानीय निकायो की जिम्मेदारी :–

i. स्थानीय निकायों को मैकेनिकल साधन द्वारा सीवर एवं सेप्टिक टेंक की सफाई हेतु अनुभवी ऐजेंसी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके पास इस तरह के कार्य का अनुभव, आवश्यक मशीनरी व अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता हो।
ii. पंजीकृत ऐजेंसियों की सूची पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
iii. सफाई के कार्य हेतु सुपरवाईजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। स्थानीय भाषा में आवश्यक जानकारी सुपरवाईजर एवं कार्मिकों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
iv. सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियो के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।
v. सफाई मशीनो/उपकरणों की संचालन प्रक्रियाओं की समस्त प्रक्रिया स्थानीय भाषा में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार कर रखी जावें और उसकी जानकारी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावे।
vi. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सा जांच और प्रशासित टीकाकरण करा रहे है ओर उसके उचित रिकॉर्ड रखेगे। डायबिटीज, हार्ट, मिर्गी व अन्य गंभीर बीमारी से पीडित व्यक्ति को सफाई प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावे।
vii. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 10 लाख रू. की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावे।
viii. स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाली सफाई मशीनों/वाहनो के मालिको के पूर्ण सम्पर्क विवरण रखेगा और उनके द्वारा एकत्रित किये गये सभी अवशिष्ट को केवल निर्धारित स्थलों/गहरे मशीनहॉल/सीवेज शोधिकरण सयंत्र पर खाली करना सुनिश्चित करें।
ix. पंजीकृत ऐजेसियो/ठेकेदार/नियोक्ताओ की किसी भी लापरवाही के लिये स्थानीय निकाय ही जिम्मेदार होगें।

(स) स्थानीय निकाय द्वारा सफाई प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर :–

i. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वार सीवर सफाई कार्य हेतु कम से कम एक सुपरवाईजर अथवा कार्यक्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाईजरों को नामित करेगें।
ii. सफाई कार्य मे कार्यरत विभागीय सुपरवाईजरों का नाम पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाऐं एवं सुपरवाईजर का स्थानान्तरण होन पर अन्य सुपरवाईजर की नियुक्ति कर उसका नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करावें।
iii. स्थानीय निकाय सुपरवाईजर को आवश्यक मशीनें, उपकरण उपलब्ध करावें एवं समय–समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण करावें।
iv. सीवरेज सिस्टम की जीपीएस मैंपिंग की जावें, जिससे कि शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक मदद् उपलब्ध करवाई जा सकें।
v. विभागीय सुपरवाईजर द्वारा व्यक्ति को सीवर लाईन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावें। सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।
vi. स्थानीय निकाय सफाई सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हे जल्द से जल्द हल हरने के लिए एक complaint redressal system/Helpline number विकसित करे एवं सख्ती से अमल करें।

vii. कोई भी व्यक्ति अपने घर के सेप्टिक टेंक की सफाई अप्रशिक्षित श्रमिक से नहीं करावे, केवल प्रशिक्षित श्रमिक ही सफाई हेतु लगाये जावे। इसे सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकाय प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करें।

viii. प्रत्येक निकाय में Responsible Sanitation Authority (RSA) बनाई जाकर Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) की स्थापना की जावें तथा Sewer Entry Processionals (SEPs) का चयन किया जावें।

अतः सभी नगरीय निकायों से यह अपेक्षा है, कि उपरोक्त दिशानिर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें। उक्त निर्देश RUIDP, RUDSICO एवं अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यो पर भी लागू होगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः–एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/मशीनहॉल/2020/ 53466-981 दिनांकः–24/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मिशन निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजि सहायक, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
13. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
14. सुरक्षित पत्रावली।

24/11/20
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता
स्वायत्त शासन विभाग
राज., जयपुर

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

Annex-I

Checklist for minimum constituents of the first- aid kit that shall be made readily available to the staffs employed in sewer cleaning at the site.			
S.No.	**Checklist**	**Minimum Constituents**	**Yes**
1.	Small sterilized dressings	6	
2.	Medium size sterilized dressings	3	
3.	Large size sterilized dressings	3	
4.	Large sterilized burn dressing	3	
5.	Bottle (30ml) containing a two percent alcoholic solution iodine	1	
6.	Bottle (30ml) containing salvolatile	1	
7.	Snakebite lancet	1	
8.	Bottle (30gm) of potassium permanganate crystals	1	
9.	Pair Scissors	1	
10.	Copy of the first-aid leaflet issued by the Directors general Factory Advice Service and Labour Institutes Government of India	1	
11.	Bottle Containing 100 tablets (each of 5mg)of aspirin	1	
12.	Ointment for burns	1	
13.	Bottle of suitable surgical antiseptic solution	1	

Annex –II

Checklist for Cleaning of Machinehole

	Checklist	**Yes/No**
1.	**Personal Safety Kit**	
	Helmet with headlight	
	Gum Boots	
	Waterproof Clothing	
	Gloves	
	Safety Belt	
	Oxygen Mask	
	Chemical Cartridge Mask	
	Oil	
	Soap	
	Towel	
	Oxygen Cylinder	
2.	**Gang Kit**	
	Barricade	
	Rope Ladder/Tripod with Chain Pulley	
	Silt Grabber	
	Chromo-flexible Steel Rod	
	Bucket with Rope	
	Spade with long handle	
	Crowbar	
	Trolley	
	First Aid Kit	
	Machinehole key Rod	

Annex –III

Checklist for Cleaning of Machinehole

Checklist		Yes/No
1.	**Personal Safety Kit**	
	Helmet with headlight	
	Gum Boots	
	Waterproof Clothing	
	Gloves	
	Safety Belt	
	Oxygen Mask	
	Chemical Cartridge Mask	
	Oil	
	Soap	
	Towel	
	Oxygen Cylinder	
2.	**Gang Kit**	
	Barricade	
	Rope Ladder/Tripod with Chain Pulley	
	Silt Grabber	
	Chromo-flexible Steel Rod	
	Bucket with Rope	
	Spade with long handle	
	Crowbar	
	Trolley	
	First Aid Kit	
	Machinehole key Rod	

Annex –IV

S. No.	Protective gears and safety devices	S. No.	Protective gears and safety devices
1	Air Compressor for blower	2	Airline breathing apparatus
3	Air line respirator with manually operated air blower	4	Air Purifier gas mask/chin cortege
5	Artificial respiration/reticulate	6	Barrier caution tape
7	Barrier Crème	8	Barrier Cone
9	Blower	10	Breath Mask
11	Breathing apparatus	12	Caution Board
13	Chlorine mask	14	Emergency medical oxygen resuscitator kit
15	First aid box	16	Face mask
17	Gas Monitor (4 Gases)	18	Guide pipe set
19	Full Body wader suit	20	Fishing wader suit attached with boots
21	Hand Gloves	22	Head lamps
23	Helmet	24	Helmet demolishing
25	Lead acetate paper	26	Life guard pad
27	Modular airlines supply trolley system	28	Normal face mask
29	Nylon rope ladder-5m	30	Nylon safety belt
31	Pocket Book	32	Port oxy
33	Raincoat	34	Reflecting jacket
35	Safety belt	36	Safety body clothing
37	Safety body harness	38	Safety goggles
39	Safety gumboots	40	Safety helmets
41	Safety showers	42	Safety torch
43	Safety tripod set	44	Search Light